<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

स्टाम्प अपील वाद संख्या–121/2021

माला देवी पति स्व0 अतुल्य कुमार व अन्य

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
30.05.2023	प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 56/19–20 में दिनांक 02.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के सदातपुर मौजान्तर्गत थाना न० 392, खाता संख्या 465, खेसरा संख्या 1025 में निष्पादित केवाला दिनांक 01.10.2019 में कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 2,22,000/– एवं उस पर जुर्माने की राशि 22,200/– अर्थात कुल 2,44,200/– जमा करने का आदेश पारित किया है। उक्त आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। Bihar Stamp & Court Fees Manual की धारा 47A (vi) के तहत अपीलकर्ता से Deficit amount का 50% जमा कराते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक 02.03.2023 को वादी के विद्वान अधिवक्ता ने Substitution Petition दाखिल किया जिसे स्वीकृत करते हुए श्रीमती माला देवी, पति–स्व० अतुल्य कुमार व अन्य को इस वाद में पार्टी बनाते हुए सुनवाई की गई। दिनांक 02.03.2023 एवं दिनांक 08.05.2023 को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर सुनवाई हेतु समय की मांग किया गया था। जिसे स्वीकृत करते हुए दिनांक 25.05.2023 की तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त तिथि को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजिरी दाखिल किया गया था परन्तु पुकार पर अनुपस्थित थे। उक्त तिथि को वादी स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वादी के विद्वान अधिवक्ता बीमार है इसलिए एक और समय दिया जाय। उपर्युक्त से ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता जानबूझकर सिर्फ मामला को लंबित रखना चाहते है। फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत अपीलकर्ता को लिखित बहस दायर करने हेतु दिनांक 30.05.2023 तक की तिथि दी गई थी। उक्त तिथि के अंदर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना लिखित बहस समर्पित किया जा चुका है जिस आधार पर वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता ने मुजफ्फरपुर जिले के सदातपुर मौजान्तर्गत खाता संख्या 465 खेसरा संख्या 1025 के 20 डी० किस्म विकासशील कृषि योग्य भूमि निबंधित केवाला संख्या 18882 दिनांक 01.10.2019 द्वारा विकास कुमार से खरीदा। उक्त केवाला में जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर ने निबंधन के समय कोई आपत्ति नहीं किया। बाद में एक शिकायतकर्ता श्री उमाशंकर सिंह के आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं जाँच प्रतिवेदन भी उन्हीं (श्री उमाशंकर सिंह) के मेल वो प्रभाव में आकर ही दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि अपीलकर्ता के अनुपस्थिति में स्थल जॉच किया गया। कार्यालय कर्मी के

WEB COPY NOT OFFICIAL

	द्वारा आवासीय श्रेणी के संबंध में गलत प्रतिवेदन अंकित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के अगल–बगल में कोई मकान/ संरचना नहीं है एवं सर्वे खतियान में भूमि के किस्म में विकासशील कृषि योग्य भूमि करके दर्ज है तथा उसके किसी चौहद्दी में सड़क नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विकासशील कृषि योग्य श्रेणी की है। फिर भी आवासीय के आधार पर कमी मुद्रांक की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है जो गलत है। साथ ही उनका (अपीलार्थी) यह भी दावा है कि निम्न न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो नियम के विरूद्ध, गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण आदेश है। वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा समर्पित लिखित बहस एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रश्नगत भूमि का कार्यालय कर्मी से स्थल जॉच कराया गया। स्थल जॉच में निबंधन कार्यालय के कर्मी ने प्रतिवेदित किया कि– **''लेख्यकारी के पिता द्वारा दिखाया गया कि भूमि के 25 मीटर की दुरी पर मकान है जिसका खेसरा नं0 1025 खाता 465 जो आवासीय श्रेणी की है, जो वर्त्तमान में खाली है।''** तदालोक में जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (ए) के अधीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को प्रेषित किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता को नोटिस निर्गत करते हुए अपना आदेश	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पारित किया है। जहाँ तक वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे का प्रश्न है कि प्रश्नगत भूमि के अगल—बगल में कोई संरचना नहीं है, के संबंध में उल्लेखनीय है कि स्थल जाँचकर्ता श्री नीरज कुमार, लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर ने दिनांक 16.10.2019 को किये गये जाँच के साथ साक्ष्य के रूप में **फोटो भी संलग्न** किया है जिसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि प्रश्नगत भूमि आवासीय श्रेणी की है इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश में अंकित है कि **''प्रतिवादी को अपना पक्ष/साक्ष्य रखने हेतु पत्रांक 95 दिनांक—10.02.2020, प्रतिवादी द्वारा नोटिस लेने से इन्कार, पुनः पत्रांक 842 दिनांक 28.11.2020 एवं पत्रांक 1686 दिनांक 01.10.2021 से निबंधित डाक का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित इससे स्पष्ट होता है कि *प्रतिवादी को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। उन्हें वाद के निस्तार में अभिरूचि नहीं है। मामला राजस्व से संबंधित होने के कारण लंबित रखना उचित नहीं है।''*** साथ ही निम्न न्यायालय के आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.02.2020, 08.12.2020 एवं 02.12.2021 को अपीलकर्ता लगातार अनुपस्थित रहे। नोटिस का तामिला भी निबंधित डाक संदर्भ सं०—RF605303407 IN दिनांक 28.11.2020 को एवं निबंधित डाक संदर्भ सं०—RF574323903 IN से भेजा गया जो विधिवत तामिला का प्रमाण है। इसलिए अपीलार्थी का यह दावा भी मान्य नहीं हो सकता है कि उन्हे सूचना दिये बगैर उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि की जॉच कराकर जॉच में पायी गयी सही तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	बिहार गजट (असाधारण) 25 जून 1997 के S.O. 140, दिनांक 25 जून 1997 के द्वारा समाहर्त्ता की शक्ति सहायक निबंधन महानिरीक्षक में निहित है एवं अंकित है कि– ***"In exercise of powers conferred by section 2, sub section 9(B) of the Indian Stamp Act, 1899(Act II 1899), The State Government confers the power of Collector to the Inspector of Registration officers exercisable subject to the general or special direction of the Secretary, Registration department for the districts of their respective Jurisdiction from the date of notification in official gazette."*** उपर्युक्त के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए **प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।** ***आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*** **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL